रांची में, गुरूवार, दिनांक 24 फरवरी, 2022 को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित रहे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

1.	झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/ अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों का यू०जी०सी० पैकेज के अनुरूप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त्त की स्वीकृति में संशोधन के संबंध में।	*1.*	**स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

3.	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–3559, दिनांक 16.07.2013 एवं अनुवर्ती संशोधनों द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2013 में संशोधन करते हुए झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2021 प्रवृत्त करने के संबंध में।	*3.*	**स्वीकृत। साथ ही "झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2021" के स्थान पर "झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2022" प्रतिस्थापित की जाय।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

4.	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–2903, दिनांक 27.06.2012 द्वारा प्रवृत्त झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021 प्रवृत्त करने के संबंध में।	*4.*	**स्वीकृत। साथ ही "झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2021" के स्थान पर "झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधित) नियमावली, 2022" प्रतिस्थापित की जाय।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

5. झारखण्ड राज्य अभिलेखागार (State Archives) संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2019 में संशोधन के संबंध में। *5.* **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(समन्वय)

6. झारखण्ड राज्य अभिलेखागार (State Archives) संवर्ग के समूह 'ग' (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2019 में संशोधन के संबंध में। *6.* **स्वीकृत।**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

7. दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी से संबद्ध पारिस्थितिकी संवेदी जोन (Eco-sensitive Zone) के आंचलिक महायोजना (Zonal Master Plan) का निर्माण M/s XLRI, Jamshedpur से मनोनयन (Nomination) के आधार पर कराये जाने हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 एवं नियम 235 को शिथिल करने के संबंध में। *7.* **स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

8. योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, रांची अंतर्गत झारखण्ड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली–2011 में संशोधन के संबंध में। *8.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

9. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद का वेतनमान एवं ग्रेड पे का उत्क्रमण/संशोधन करने के संबंध में। *9.* **स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

10. झारखण्ड राज्यान्तर्गत मॉडल विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं उनमें ICT Lab तथा स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन की स्वीकृति। *10.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

11. W.P.(S) No. 3027/2016 अशोक कुमार राय एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–17.08.2017 के आलोक में अभियंत्रण सेवा संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में। *11.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

12. साहेबगंज जिलान्तर्गत "रांगा (दुमका– साहेबगंज पथ, SH-18 पर)–सिमरा–हिरन–डुमील –श्रीरामपुर –इलाकी–भोरबंध–सिमधाब (दुमका– साहेबगंज पथ, SH-18 पर) पथ (लंबाई–32.055 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 114,15,52,000/– (एक सौ चौदह करोड़ पन्द्रह लाख बावन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *12.* **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

13. झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से "मटकामा चौक (SH-2 पर)–पाली–सांकी–चुटूपालु (NH-33 पर) पथ (लंबाई–20.76 कि०मी०) एवं कोड़ी बाजार से चिकोर भाया सुड्डी लिंक पथ (लंबाई–4.43 कि०मी०) सहित (कुल लंबाई–25.19 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू–अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)" हेतु रू० 98,09,39,000/–(अंठानबे करोड़ नौ लाख उनचालीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *13.* **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

14. राजभवन, राँची में माननीय राज्यपाल के कारकेड एवं राजभवन में पदस्थापित पदाधिकारियों के उपयोगार्थ नये वाहनों के क्रय हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से प्राप्त राशि रू० 2,93,00,000/– (दो करोड़ तिरानवे लाख) मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *14.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

15. वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक ज्ञानोदय योजनान्तर्गत रू० 58,16,00,000/– (अंठावन करोड़ सोलह लाख) मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा एवं कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (Digitization of Schools) की स्वीकृति। *15.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

16. 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये झारखण्ड सरकार में जिला अस्पतालों के परिणामों (झारखण्ड सरकार) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन के संबंध में। *16.* **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

17. आतंकवाद निरोधी दस्ता में एक संगठित अपराध कोषांग का गठन तथा आंतकवाद निरोधी दस्ता के राज्यस्तरीय थाना को झारखण्ड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने के संबंध में। *17.* **स्वीकृत।**

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

18. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लाभुकों को दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित व्यय राशि रू० 113.40 करोड़ (एक अरब तेरह करोड़ चालीस लाख) मात्र की की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। *18.* **स्वीकृत।**

(कार्योपरांत स्वीकृति)

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखण्ड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रुभ्मेंट प्रोजेक्ट (JUWSIP) के अंतर्गत रू० 8857.72 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त राँची शहरी जलापूर्ति फेज–2, पैकेज–C परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। *19.* **स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

20. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेकनिक/महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों एवं 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में। *20.* **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

21. झारखण्ड राज्य में विभिन्न श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी देने की स्वीकृति के संबंध में। *21.* **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

22. अजय बराज योजना अन्तर्गत मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 15.00 कि०मी० तक पी०सी०सी० लाईनिंग एवं संरचनाओं के पुनरूद्धार कार्य हेतु रू० 117.92 करोड़ (एक सौ सत्रह करोड़ बानवे लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। *22.* **स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

23. साहेबगंज जिला अन्तर्गत गुमानी बराज योजना के निर्माण कार्य हेतु रू० 361.35 करोड़ (तीन सौ इकसठ करोड़ पैंतीस लाख) मात्र के पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। *23.* **स्वीकृत।**

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (Crl) No.-3543/2020 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य में दिनांक–02.03.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु JAP-IT से प्राप्त विस्तृत कार्य योजना (DPR) के आधार पर वर्त्तमान में 334 पुलिस थानों में कुल 5310 CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु रू० 78,08,63,894/–(अठहत्तर करोड़ आठ लाख तिरसठ हजार आठ सौ चौरानवे) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। *24.* **स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

25. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा Cont. Case No. 704/2017 में दिनांक–29.06.2018 एंव दिनांक–14.09.2018 तथा दिनांक–20.11.2021 को पारित आदेश के आलोक में वाद संख्या–WP(s) No. 3973/2014 में दिनांक–03.04.2017 को दिये गये न्यायनिर्णय के अनुपालनार्थ झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में संविदा आधारित पद के विरूद्ध कार्यरत संविदा कर्मी श्री राजनाथ यादव की सेवा नियमित करने के संबंध में। *25.* **स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

26. झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में कार्यरत शिक्षक (व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक) को यू०जी०सी० प्रावधान के अन्तर्गत छठा पुनरीक्षित वेतनमान में Ph.D./M.Phil. उपाधि की प्राप्ति के फलस्वरूप वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में। *26.* **स्वीकृत।**

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

27. राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर) के सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक–01.12.2004 के पूर्व नियुक्त) को 7th CPC के अन्तर्गत सातवाँ पुनरीक्षित वेतनामान में पेंशन/परिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक-01.04.2021 से स्वीकृति करने के संबंध में। *27.* **स्वीकृत।**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

28. बिहार राज्य वन विकास निगम लि० के आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मियों के विभाजन के संबंध में। *28.* **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

29. Jharkhand Economic Survey 2021–22 को विधान सभा के पटल पर रखने के संबंध में। *29.* **स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

30. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मॉडल अधिनियम प्रारूप के अनुसार कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम प्रारूप, 2017 को कतिपय संशोधन के साथ अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2022 {Jharkhand State Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion & Facilitation) Act, 2022} की स्वीकृति के संबंध में।

30. **स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

31. झारखण्ड राज्य सोलर पावर पॉलिसी, 2022 की स्वीकृति के संबंध में।

31. **स्वीकृत।**

खान एवं भूतत्व विभाग

32. झारखण्ड अन्वेषण एवं खनन निगम लि० (Jharkhand Exploration and Mining Corporation Ltd.) (JEMCL) की हिस्सा पूँजी (Share Capital) 1000 करोड़ (एक हजार करोड़) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस राशि की निकासी एवं संधारण हेतु झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 का नियम 261(b) को शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में।

32. **इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि प्रशासी विभाग वित्त विभागीय शर्त्त का उल्लेख संकल्प में करेगा तथा इस राशि को किसी Nationalised Scheduled Bank में रखा जाय।**

पंचायती राज विभाग

33. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन, 2022 के लिए प्रस्तावित तिथियों के अनुमोदन के संबंध में।

33. **इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि मार्च माह में क्षेत्रीय कर्मियों की अन्य कार्यों में अत्याधिक व्यस्तता के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग से यह अनुरोध किया जाय कि पंचायत चुनाव का कार्यक्रम दिनांक 31 मार्च, 2022 के बाद तय किया जाय।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

34. अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करने के संबंध में।

34. **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

35. राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नत सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता का विस्तार हेतु विधेयक–2022।

35. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

36. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची के शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति/संविदा के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान लागू करने के संबंध में।

36. **संलेख में अंकित तथ्यों पर विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया :–**

i. **विभागीय संकल्प संख्या–186 (9) दिनांक 14.10.2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।**

ii. **राज्य में सरकारी नियुक्तियों में लागू आरक्षण प्रावधानों के तहत् रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नये सिरे से अविलम्ब विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाय।**

ह0/–
(सुखदेव सिंह)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड